NOTE FOR PAD FOR STARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 47.

Several landless persons, who needed to be rehabilitated, were allotted uncultivable lands under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 and the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953. After expiry of lease period, these lessees remained in possession of the lands upto 24.09.1986 and thereafter they were evicted at different point of time due to court orders. The Hon'ble Supreme Court on 24.09.1986, in one of such matter, 'Bodhni Chaman Exservicemen Cooperative Tenants Farming Society Ltd. etc. versus State of Haryana and others', while dismissing the appeal against eviction orders, had observed that Government may allot another piece of land elsewhere to the petitioners considering their pitiable condition. However, the necessary rehabilitation measures could not be undertaken by the Government at that point of time.

2. Rule 6A was inserted in the PVCL Rules vide notification dated 03.01.2008 which reads as under:-

Lease of land in shamilat deh to lessees of East Punjab Utilization of Lands Act, 1949.- Notwithstanding anything contained in these rules, the Gram Panchayat may, with prior approval of the State Government, lease out its land for cultivation purposes for a period upto 99 years to the original lessees of East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, or to their legal heirs, who are in cultivating possession of such land:

Provided that the terms and conditions on which the land may be leased out shall be as under:-

- (i) the lessees shall make one time payment of Rs.2500/- per acre for settlement of the period for which the land remained under their use and unauthorized occupation;
- (ii) the lessees shall pay Rs.1000/- per acre per year as lease money with 20% increase after every ten years;
- (ii) the lessees shall have no right to sub lease the land;
- (iv) the eligible persons will have to execute a lease deed within one year from the date of notification of these rules
- 3. Thereafter, the aforestated Rule was substituted vide notification dated 29.11.2010 providing therein that land could be leased out to the original lessee who are in cultivating possession of such lands or of any other land in the same village. The substituted rule reads as under:-

Lease of land in shamilat deh to lessees of East Punjab Utilization of Lands Act, 1949.- Notwithstanding anything contained in these rules, the Gram Panchayat may, with prior approval of the State Government, lease out its land for cultivation purposes for a period upto 99 years to the original lessees of East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, or to their legal heirs, who are in cultivating possession of such land or of any other land in the same village upto a maximum limit of original allotted land:

Provided that the terms and conditions on which the land may be leased out shall be as under:-

- (i) the lessees shall make one time payment of Rs.2500/- per acre for settlement of the period for which the land remained under their use and unauthorized occupation;
- (ii) the lessees shall pay Rs.1000/- per acre per year as lease money with 20% increase after every ten years;

- (iii) the lessees shall have no right to sub lease the land;
- (iv) the eligible persons will have to submit an application to the concerned Gram Panchayat with a copy to the Deputy Commissioner, within six months from the date of notification of these rules. After the approval is granted by the State Government, the Gram Panchayat may execute a lease deed within a maximum period of six months.
- 4. Thereafter, Section 5A was inserted in the PVCL Act vide notification dated 09.10.2013, which provides as under:-
 - 5A (1) A panchayat may, gift, sell, exchange or lease the land in shamilat deh vested in it under this Act to such persons including members of Schedules Castes and Backward Classes on such terms and conditions, as may be prescribed:

Provided that the lease of land by way of allotment for cultivation purposes may be given for a period upto 99 years only to a person who does not own any land for agriculture on the date of the commencement of this Act and has been the original lessee either under the provisions of the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949 (Punjab Act 38 of 1949) or under the provisions of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, for a period not less than seven years and has remained in continuous cultivating possession of the leased land upto the 24th September, 1986, with corresponding entries in the revenue record:

Provided further that the lessee shall make one time payment, as may be prescribed, for the period he remained in cultivating possession without making payment of lease money.

Explanation.- "Person" for the purpose of this sub-section shall include legal heirs of the original allottee.

- (2) The gift, sale, exchange or lease of the land in shamilat deh already made shall be deemed to have been made under sub-section (1)
- 5. Pursuant to the aforestated provision in the Act, Rule 6A was further substituted vide notification dated 13.12.2013, which reads as under:-
 - 6A(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Gram Panchayat may, with prior approval of the Assistant Collector of the first grade, lease out its land by way of allotment for cultivation purposes initially for a period upto 33 years further renewable for the same period twice, to a person who does not own any land for agriculture on the date of commencement of the Act and has been the original lessee either under the provisions of the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 (Punjab Act 38 of 1949) or under the provisions of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953 or his legal heirs, for a period not less than seven years and has remained in continuous cultivating possession of the leased land upto 24th September, 1986 with corresponding entries in the revenue record, subject to the following terms and conditions:-
 - (i) the maximum lease period including the renewals shall not exceed 99 years;
 - (ii) the legal heirs of the original lessee shall be granted the lease of the land to the extent of their share in the originally allotted land. The share shall be determined by the revenue officials and countersigned by the concerned Sub-Divisional Officer (Civil);
 - (iii) maximum area of land in shamilat deh to be leased out to an original lessee or his legal heirs shall not exceed ten acres or the area originally allotted, whichever is less;
 - (iv) the lessee shall have no right to sub-lease the land;
 - (v) the lessee pay one time payment at the rate of rupees two thousand per acre per year for the period he remained in cultivating possession without making payment of lease money. However, the lessees who have already deposited the penalty amount in compliance of the orders passed by competent

- authority, they shall not be liable for payment of one time settlement amount for the relevant period;
- (vi) the lessee shall pay the lease money at the rate of rupees two thousand per acre per year with ten percent increase after every five years.
- (2) In case of violation of any conditions as specified in sub rule(1) above and the terms and conditions of the lease deed, the possession of the land shall revert back to the Gram Panchayat.
- (3) The original lessee or his legal heirs may submit an application in the prescribed proforma alongwith the copies of revenue record in support of their claim, to the concerned Gram Panchayat with a copy to concerned the Block Development and Panchayat Officer, within a period of six months from the date of notification of these rules. A separate register shall be maintained by the Block Development and Panchayat Officer and copy of application so received shall be entered immediately. The Block Development and Panchayat Officer after making entry shall forward the copy of the application to the concerned Gram Panchayat for necessary action.
- (4) The Gram Panchayat shall consider the application and pass a resolution with regard to the lease of land within a period of thirty days. The Block Development and Panchayat Officer shall forward a copy of the resolution so passed alongwith the application and documents attached by the applicant to the Assistant Collector of the first grade for approval and shall also retain a copy of the same with him. Thereafter, the Assistant Collector of the first grade shall pass appropriate order within a period of sixty days.
- (5) The Gram Panchayat shall execute a lease deed in favour of the original lessee or his legal heirs, within a period of one month from the date of approval accorded by the Assistant Collector of the first grade
- 6. In view of the advice tendered by the Law Department & the decision taken by the Council of Ministers, instructions dated 03.03.2014 was issued to all the field functionaries stating therein that adequate care and caution should be taken while leasing out the land in shamilat deh under this Rule so that the land assigned for common specific purposes, as per consolidation and left for village charand, pond and jangalat etc is not leased out/allotted. A proforma was also circulated for inviting applications under this rule.
- 7. The aforestated provisions have been challenged by various villagers of Kurukshetra District by filing CWP No.8561/2014, 8510/2014, 8372/2014, 8560/2014 & 6874/2014 on the following grounds:-
 - (i) Rule 6 of the rules provides that shamilat land will be given on lease by conducting open auction whereas in under rule 6A the lands would be allotted.
 - (ii) Rule 6 provides for renewal of a lease upon an application made by the lessee before the expiry of the lease period and such renewal shall be for a period not exceeding two years, whereas in the present case lease is being renewed for a period of 33 years.
 - (iii) Rule 6A has been inserted for extraneous consideration to give ownership rights to Panchayat land to such unauthorized occupants which is against the principle of natural justice.
 - (iv) Allotment of land shall geopardize the common purposes of the village and there will be no land for the common use of the village.
- 8. The Hon'ble High Court while issuing notice to the State Government has restrained the State Government for allotting any piece of land in terms of rule 6A of the PVCL Rules, 1964 vide its order dated 03.07.2014 and thereafter, vide order dated 28.04.2016. The writ petition is fixed for hearing on 08.12.2023.

9. There is a proposal under consideration of Government to bring about an amendment in the Haryana Village Common Lands (Regulations) Act, 1961. A Committee consisting of the Chief Minister as Chairperson, Deputy Chief Minister, Urban Local Bodies Minister and Development & Panchayats Minister besides officers has been consitituted and the proposal would be finalized on the basis of the report of the Committee after it is submitted. As per information provided by the District Administration, 1350 lessees in 22 villages of Guhla and Siwan Block are in possession of land in shamilat deh measuring 4285.5 Acre.

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 47 के लिए नोट फॉर पैड

कई भूमिहीन व्यक्तियों, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता थी, को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 और पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के तहत अकृषि योग्य भूमि आबंटित की गई थी। पट्टे की अविध समाप्त होने के बाद, ये पट्टेदार दिनांक 24.09.1986 तक भूमि के कब्जे में रहे और उसके बाद उन्हें अदालत के आदेशों के कारण अलग—अलग समय पर बेदखल कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.09.1986 को बोधनी चमन एक्स—सर्विसमैन टैनेन्ट फारमिंग सोसाईटी लिमिटिड बनाम हिरयाणा सरकार व अन्य ऐसे ही एक मामले में बेदखली के आदेशों के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थित को देखते हुए उन्हें कही और भूमि आबंटित कर सकती है। तथापि उस समय सरकार द्वारा आवश्यक पुनर्वास उपाय नहीं किए जा सके।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमावली में अधिसूचना दिनांक 03.01.2008 द्वारा नियम 6क जोड़ा गया जो निम्न प्रकार है:—

पूर्वी पंजाब भू उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन पट्टेदारों को शामलात देह में भूमि को पट्टे पर देना। धारा 5 तथा 15(2)(च).— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पूर्वी पंजाब भू—उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन मूल पट्टेदारों या उनके विधिक वारिस, जो ऐसी भूमि के खेतीहर कब्जे में है, को 99 वर्ष तक की अविध के लिए खेतीबाड़ी के प्रयोजनों हेतु अपनी भूमि पट्टे पर दे सकती है:

परन्तु निबन्धन तथा शर्तें जिन की भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, निम्न अनुसार होंगी:--

- (i) पट्टेदार, अविध जिसके लिए भूमि उनके प्रयोग तथा अनिधकृत कब्जे में रही थी, के निपटान के लिए, 2500 / — रूपये प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान करेंगे;
- (ii) पट्टेदार 1000 / रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रत्येक दस वर्ष के बाद 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ पट्टा धनराशि के रूप में भुगतान करेंगे;
- (iii) पट्टेदारों को भूमि उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकारी नहीं होगा;
- (iv) पात्र व्यक्तियों को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे।"।
- 3. तत्पश्चात उक्त नियम को अधिसूचना दिनांक 29.11.2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मूल पट्टेदार जो ऐसी भूमियोंया उसी गांव की अन्य भूमि पर काश्ता कब्जे में है को यह भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। प्रतिस्थापित नियम निम्नानुसार है:—

पूर्वी पंजाब भू—उपयोग अधिनियम, 1949 के अधीन पट्टेदारों को शामलात देह में भूमि को पट्टे पर देना। धारा 5 तथा 15(2)(च).— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पूर्वी पंजाब भू—उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन मूल पट्टेदारों या उनके विधिक वारिस, जो उसी गांव में ऐसी भूमि या किसी अन्य भूमि के लगातार खेतीहर कब्जे में है, को 99 वर्ष तक की अविध के लिए अधिकतम मूल आबंटित की गई भूमि की अधिकतम सीमा तक खेतीबाड़ी के प्रयोजनों हेतु अपनी भूमि पट्टे पर दे सकती है:

परन्तु निबन्धन तथा शर्तें जिन की भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, नीचे दिए गए अनुसार होंगी:--

- (i) पट्टेदार, अवधि जिसके लिए भूमि उनके प्रयोग तथा अनधिकृत कब्जे में रही थी, के निपटान के लिए, 2500 / — रूपये प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान करेंगे;
- (ii) पट्टेदार 1000 / रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रत्येक दस वर्ष के बाद 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ पट्टा धनराशि के रूप में भुगतान करेंगे;
- (iii) पट्टेदारों को भूमि उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकारी नहीं होगा;
- (iv) पात्र व्यक्तियों को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह मास के भीतर उपायुक्त को एक प्रति के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात्, ग्राम पंचायत अधिकतम छह मास की अवधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित कर सकती है।"।
- 4. तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 09.10.2013 द्वारा पंजाब ग्राम शामलात भूमि अधिनियम, 1961 में धारा 5क जोड़ी गई थी, जो निम्न अनुसार है:—

"5क (1) कोई पंचायत इस अधिनियम के अधीन अपने में निहित शामलात देह में भूमि, यथाविहित ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, ऐसे व्यक्ति को दान, विक्रय, आदान—प्रदान या पट्टे पर दे सकती है:

परन्तु खेती के प्रयोजनों के लिए आबंटन द्वारा भूमि का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके स्वामित्व में इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को कृषि करने हेतु कोई भूमि नहीं है, केवल 99 वर्ष तक की अविध के लिए तथा या तो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पंजाब अधिनियम 38) के उपबंधों के अधीन या पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अधीन कम से कम सात वर्ष की अविध के लिए मूल पट्टेदार रहा है तथा राजस्व अभिलेख में समरुपी प्रविष्टियों सहित 24 सितम्बर, 1986 तक पट्टे पर दी गई भूमि का खेती करने का कब्जा निरंतर रहा है. दिया जा सकता है:

परन्तु यह और कि पट्टाधारी ऐसी अविध जिसके लिए वह पट्टाधन का भुगतान किए बिना खेती करने के लिए भूमि पर काबिज रहा है, यथाविहित, एकमुश्त भुगतान करेगा ।

व्याख्या.— 'इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'व्यक्ति' मूल आबंटिती के विधिक वारिसों में शमिल होगा ।

- (2) शामलात देह में पहले से ही दान में दी गई, विक्रय की गई, आदान—प्रदान की गई या पट्टा पर दी गई भूमि उप—धारा (1) के अधीन दी गई समझी जाएगी। ।"।
- 5. अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुरूप नियम 6क को अधिसूचना दिनांक 13.12.2013 द्वारा आगे प्रतिस्थापित किया गया था जो निम्न अनुसार है:—
 - 6क. पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पंजाब अधिनियम 38) तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के अधीन पट्टेदारों को शामलात देह में भूमि पट्टे पर देना। धारा 5 क तथा 15 (2)(च) .— (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत, सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी के पूर्व अनुमोदन से, किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके स्वामित्व में अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को कृषि हेतु कोई भूमि नहीं है तथा पूर्वी पंजाब भूमि—उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पंजाब अधिनियम 38) या पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन कम से कम सात वर्ष की अविध के लिए मूल पट्टेदार रहा

है तथा राजस्व अभिलेख में समरूपी प्रविष्टियों सिहत 24 सितम्बर, 1986 तक भूमि पर खेती करने का कब्जा निरन्तर रहा हो, को या उसके विधिक वारिसों को खेती के प्रयोजनों के लिए आबंटन द्वारा भूमि का पट्टा प्रारम्भिक रूप से तैंतीस वर्ष तक की अविध तथा आगे इसे इतनी ही अविध के लिए दो बार नवीकरणीय हेतु निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन पट्टे पर दे सकती है:—

- (i) नवीकरण सहित अधिकतम पट्टा अवधि निन्यानवे वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) मूल पट्टेदार के विधि वारिसों को मूल आबंटित भूमि में उनके हिस्से की सीमा तक ही भूमि का पटटा प्रदान किया जाएगा। हिस्सा राजस्व कर्मचारियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (iii) मूल आबंटिती या उसके विधिक वारिसों को शामलात देह में भूमि का अधिकतम क्षेत्र दस एकड या मूल आबंटित क्षेत्र, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- (iv) पट्टेदार को भूमि उप-पटटे पर देने का अधिकार नहीं होगा।
- (v) पट्टेदार, जिस अवधि के लिए वह बिना पटटा राशि अदा किए खेतीहर कब्जे में रहा है, के लिए दो हजार रूपये प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से एक मुश्त राशि अदा करेगा। तथापि पट्टेदार, जो सक्षम प्रधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में शास्ति, राशि पहले जमा करवा चुका है तो वह सम्बन्धित अवधि के लिए एक मुश्त निपटान राशि का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा।
- (vi) पट्टेदार, प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद दस प्रतिशत बढोतरी के साथ की दर से पट्टा धन राशि का भुगतान करेगा।
- (2) उपरोक्त उप—नियम 1 में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों या पट्टा विलेख के निबन्धन तथा शर्तों के उल्लघंन की दशा में भूमि का कब्जा वापिस ग्राम पंचायत को चला जाएगा।
- (3) मूल पट्टेदार या उसके विधिक वारिस अपने दावे के समर्थन में राजस्व रिकार्ड की प्रतियों सिहत विहित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को प्रति सिहत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की अविध के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अलग से रिजस्टर रखा जायेगा तथा इस प्रकार प्राप्त आवेदन की प्रति तुरन्त इन्द्राज की जाएगी। इन्द्राज करने के बाद खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी आवेदन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजेगा।
- (4) ग्राम पंचायत आवेदन पर विचार करेगी तथा तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करेगी। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी आवेदन तथा आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेजों सिहत इस प्रकार पारित प्रस्ताव की प्रति सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी को अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा। तत्पश्चात्, सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी साठ दिन की अवधि के अन्दर उचित आदेश पारित करेगा।
- (5) ग्राम पंचायत, सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन की तिथि से एक मास की अविध के भीतर मूल पटाधारी या उसके विधिक वारिसों के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित करेगी।

- 6. विधि विभाग द्वारा दी गई सलाह और मंत्रीपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को हिदायत दिनांक 03.03.2014 जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इस नियम के तहत शामलात भूमि को पट्टे पर देते समय पर्याप्त निगरानी एवं सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि चकबंदी के अनुसार और गांव के चरान्द, तालाब तथा जंगलात इत्यादि सांझे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए चिन्हित भूमि को पट्टा/आबंटन न किया जाए। इस नियम के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक प्रोफार्मा भी परिचालित किया गया था।
- 7. उक्त प्रावधानों को कुरूक्षेत्र के विभिन्न ग्रामीणों द्वारा सिविल याचिका नं0 8561/2014, 8510/2014, 8372/2014, 8560/2014 तथा 6874/2014 दायर करके निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी गई:—
 - (i) नियमावली के नियम 6 में यह प्रावधान है कि खुली नीलामी करके शामलात भूमि पट्टे पर दी जाएगी जबकि नियम 6क के अंतर्गत भूमि आबंटित की जाएगी।
 - (ii) नियम 6 में पट्टेदार द्वारा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व किए गए आवेदन पर पट्टे के नवीकरण का प्रावधान है और ऐसा नवीकरण दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा, जबिक वर्तमान मामले में पट्टे का नवीकरण 33 वर्ष की अविध के लिए किया जा रहा है।
 - (iii) ऐसे अनिधकृत कब्जाधारियों को पंचायत भूमि का मालिकाना हक देने के लिए असंगत कारणों के लिए नियम 6क जोड़ा गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।
 - (iv) भूमि के आबंटन से गांव के सामान्य उद्देश्यों को जोखिम होगा और गांव के सामान्य उपयोग के लिए भूमि नहीं बचेगी।
- 8. राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए माननीय उच्च ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2014 तथा उसके पश्चात दिनांक 28.04.2016 द्वारा राज्य सरकार को पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमावली, 1964 के नियम 6क के अनुसार भूमि के किसी भी टुकड़े को आबंटित करने से रोक दिया है। सिविल याचिका पर सुनवाई के लिए 08.12.2023 की तारीख निश्चित की गई है।
- 9. अब इन व्यक्तियों को ऐसी भूमि की बिक्री के लिए हिरयाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम, 1961 में प्रावधान करने के लिए एक प्रस्ताव है । मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उप मुख्यमन्त्री शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री तथा विकास एवं पंचायत मन्त्री की एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट, प्रस्तुत होने के पश्चात्, इसके आधार पर प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गुहला और सीवन खण्ड के 22 गांवों में 1350 पट्टेदारों का 4285.5 एकड़ शामलात देह की भूमि पर कब्जा है।